

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (B-472) अलेसे-1/994-998

दिनांक:- 18/08/23

आदेश

श्री बाबू लाल टेलर (लिंग नं. 4608), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर द्वारा निदेशालय के आदेश क्रमांक 1435-1441 दिनांक 12.10.2022 के अनुसरण में दिनांक 17.10.2022 से 17.04.2023 तक अपने पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाईड, मुख्यालय जयपुर में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दिनांक 17.10.2022 से 31.03.2023 तक का (पद रिक्ति दिनांक 01.10.2022 से अधिकतम 6 माह तक का) स्वयं के वेतन का 2 प्रतिशत दोहरा कार्यभार स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (B-472) अलेसे-1/994-998

दिनांक:- 18/08/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
2. राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाईड, मुख्यालय जयपुर।
3. श्री बाबू लाल टेलर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


(राजेन्द्र प्रसाद रैंगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)